



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1947 (श10)

(सं० पटना 227) पटना, वृहस्पतिवार, 26 फरवरी 2026

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

26 फरवरी 2026

सं० B1-3-47/2026-04—राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 26.02.2026 को जारी अधिसूचना (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा राज्य सभा में राज्यों से भरे जाने वाले पदों की संख्या एवं निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित अधिसूचना संख्या— 318/रा.स.—मल्टी/2026 (1) दिनांक 26.02.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या— 318/रा.स.—मल्टी/2026 (2) दिनांक 26.02.2026 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहू,
संयुक्त सचिव।

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 26 फरवरी, 2026/फाल्गुन 07, 1947 (शक)

का.आ. (अ)— राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से, उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन सदस्यों के स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए, जिनकी पदावधि उक्त सारणी के स्तंभ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित तारीख को समाप्त होनी है, उनकी पदावधि के अवसान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं :-

सारणी

क्रम सं.	राज्य का नाम	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या	पदावधि के अवसान की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाराष्ट्र	7	02.04.2026
2.	ओडिशा	4	
3.	तमिलनाडु	6	
4.	पश्चिम बंगाल	5	
5.	असम	3	09.04.2026
6.	बिहार	5	
7.	छत्तीसगढ़	2	
8.	हरियाणा	2	
9.	हिमाचल प्रदेश	1	
10.	तेलंगाना	2	

[फा. सं. एच. 11024/1/2026-वि.02]
अकाली वी.कोंडे,
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी।

Government of India
Ministry of Law and Justice
(Legislative Department)

Notification

New Delhi, the 26th February, 2026/Phalguna 07, 1947 (Saka)

S.O..... (E.) — In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire on the date mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said table, on the expiration of their term of office :-

TABLE

Serial number	Name of State	No. of seats to be filled	Date of expiry of term of office
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Maharashtra	7	02.04.2026
2.	Odisha	4	
3.	Tamil Nadu	6	
4.	West Bengal	5	
5.	Assam	3	09.04.2026
6.	Bihar	5	

Serial number	Name of State	No. of seats to be filled	Date of expiry of term of office
7.	Chhattisgarh	2	09.04.2026
8.	Haryana	2	
9.	Himachal Pradesh	1	
10.	Telangana	2	

[F.No.H.11024/1/2026-Leg.II]

Akali V.Konghay,
Joint Secretary & Legislative Counsel.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001
दिनांक 26 फरवरी, 2026 फाल्गुन 07, 1947 (शक)

सं. 318/रा.स.-मल्ली/2026 (1)- यतः, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी, और तारीख 26 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा की है कि वे उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें:

सारणी

क्र. सं.	राज्य	भरे जाने वाले स्थान
	(1)	(2)
1.	महाराष्ट्र	7
2.	ओडिशा	4
3.	तमिलनाडु	6
4.	पश्चिम बंगाल	5
5.	असम	3
6.	बिहार	5
7.	छत्तीसगढ़	2
8.	हरियाणा	2
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	तेलंगाना	2

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग -
एतद्वारा:-

(अ) उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित करता है:-

- | | | |
|-----|--|---------------------------------|
| (क) | नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख | - 05 मार्च, 2026 (गुरुवार) |
| (ख) | नाम निर्देशनों की संविक्षा की तारीख | - 06 मार्च, 2026 (शुक्रवार) |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख | - 09 मार्च, 2026 (सोमवार) |
| (घ) | वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, | - 16 मार्च, 2026 (सोमवार), और |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | - 20 मार्च, 2026 (शुक्रवार), और |

(आ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001**Dated 26th February, 2026/Phalguna 07, 1947 (Saka)*

No. 318/CS-Multi/2026(1)— Whereas, the President of India has, by notification issued under Section 12 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951) and published in the Gazette of India on 26th February, 2026 been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of member(s) specified against that State in column (2) of the said TABLE:

TABLE

S.No.	Name of State (1)	No. of members (2)
1.	Maharashtra	7
2.	Odisha	4
3.	Tamil Nadu	6
4.	West Bengal	5
5.	Assam	3
6.	Bihar	5
7.	Chhattisgarh	2
8.	Haryana	2
9.	Himachal Pradesh	1
10.	Telangana	2

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the said Act, the Election Commission hereby-

- (A) appoints, with respect to the said election;
- the 05th March, 2026 (Thursday), as the last date for making nominations;
 - the 06th March, 2026 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;
 - the 09th March, 2026 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - the 16th March, 2026 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - the 20th March, 2026 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and
- (B) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above-mentioned States on the date specified above for the election.

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001/

दिनांक: 26 फरवरी, 2026 फाल्गुन 07, 1947 (शक)

सं. 318/रा.स.-मल्टी/2026 (2)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में एवं उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से 26 फरवरी, 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में उस राज्य में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के संबंध में, एतद्वारा-

- (i) नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में पदाभिहित करता है, तथा
- (ii) उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारी(यों) को रिटर्निंग ऑफिसर के कृत्यों के निष्पादन में सहायता के लिए, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है;

सारणी

राज्य	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)
महाराष्ट्र	डॉ. विलास जी. अठावले, सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	1. श्री सुभाष एस. नलावडे, संयुक्त सचिव सह ओ.एस.डी., महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय 2. श्रीमती सीमा सचिन तांबे, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
ओडिशा	श्री सत्यब्रता राउत, सचिव, ओडिशा विधान सभा	श्री बिद्याधर माझी, संयुक्त सचिव, ओडिशा विधान सभा
तमिलनाडु	थिरूमति आर. शांति, अपर सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय	थिरूमति पी. थेनमोझी, संयुक्त सचिव, तमिलनाडु विधान सभा सचिवालय
पश्चिम बंगाल	श्री सौमेन्द्र नाथ दास, प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा	श्री दीपांकर मंडल, उप सचिव, पश्चिम बंगाल विधान सभा
असम	श्री राजीब भट्टाचार्य, अपर सचिव, असम विधान सभा सचिवालय	श्री प्रदीप हांडिका, ओ.एस.डी. (संयुक्त सचिव) असम विधान सभा सचिवालय
बिहार	श्रीमती ख्याति सिंह, संयुक्त सचिव-सह-प्रभारी सचिव, बिहार, विधान सभा	श्री सुधीर कुमार सिंह, उप सचिव, बिहार विधान सभा
छत्तीसगढ़	श्री मनीष शर्मा, संचालक, छत्तीसगढ़ विधान सभा	श्री दिनेश त्रिवेदी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
हरियाणा	श्री पंकज अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग	श्री गौरव गोयल, उप सचिव, हरियाणा विधान सभा
हिमाचल प्रदेश	श्री यश पॉल शर्मा, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा	श्री जितेन्द्र सिंह कँवर, उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश विधान सभा
तेलंगाना	श्री चे.उपेन्द्र रेड्डी, अपर सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल	श्री ए. सुधाकर, उप सचिव, तेलंगाना राज्य विधान मंडल

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001**Dated: 26th February, 2026 Phalguna 07, 1947(Saka)*

No. 318/CS-Multi/2026(2): - In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, in consultation with the Government of each of the States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby-

- (i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer; and
- (ii) appoints the officer(s), specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE, to be the Assistant Returning Officer(s) to assist the Returning Officer in the performance of his/her functions;

in respect of the biennial election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the notification of the President of India, published in the Gazette of India on 26th February, 2026: -

TABLE

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Maharashtra	Dr. Vilas G. Athawale, Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	1. Shri. Subhash S. Nalawade, Joint Secretary cum OSD, Maharashtra Legislature Secretariat 2. Smt. Seema Sachin Tambe, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
Odisha	Shri Satyabrata Rout, Secretary, Odisha Legislative Assembly	Sri Bidyadhar Majhi, Joint Secretary, Odisha Legislative Assembly
Tamil Nadu	Tmt. R.Santhi, Additional Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat	Tmt. P. Thenmozhi, Joint Secretary, , Tamil Nadu Legislative Assembly Secretariat
West Bengal	Shri Soumendranath Das, Principal Secretary, West Bengal Legislative Assembly	Shri Dipankar Mondal, Deputy Secretary, West Bengal Legislative Assembly
Assam	Shri Rajib Bhattacharyya, Additional Secretary, Assam Legislative Assembly Secretariat	Shri Prodip Handique, (OSD Joint Secretary), Assam Legislative Assembly Secretariat
Bihar	Smt. Khyati Singh, Joint Secretary-cum- Secretary-in-Charge, Bihar Legislative Assembly	Sh. Sudhir Kumar Singh, Deputy Secretary, Bihar Legislative Assembly
Chhattisgarh	Shri Manish Sharma, Director, Chhattisgarh Legislative Assembly	Shri Dinesh Trivedi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Legislative Assembly
Haryana	Sh. Pankaj Agarwal, IAS, Principal Secretary to the Government, Haryana, Agriculture & Farmers Welfare Department	Sh. Gaurav Goyal, Deputy Secretary, Haryana Vidhan Sabha

States	Returning Officer	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
Himachal Pradesh	Shri Yash Paul Sharma, Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha	Sh. Jitendra Singh Kanwar, Deputy Secretary (Legislation) , Himachal Pradesh Vidhan Sabha
Telangana	Sri Ch. Upender Reddy, Additional Secretary, Telangana State Legislature	Sri A Sudhakar, Deputy Secretary, Telangana State Legislature

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 227-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>